बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 11 दिसम्बर, 1981 ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अधीन सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—1	1—3
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19।	
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—21, 24, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 एवं 47।	4—32
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर):	33—736
दैनिक निबंध	737-738

टिप्पणी—किन्हीं मा० मंत्रियों एवं सदस्यों ने भाषण संशोधित नहीं किये हैं।

(4) कारखाना से 7 व्यक्तियों को अनुशासनिक कार्रवाई के कारण हटाया गया हैं। जिसमें से एक व्यक्ति श्री सोमेन दत्ता विस्थापित हैं तथा अन्य छः व्यक्ति विस्थापित नहीं हैं। यह बात सही है कि कारखाना व्यवस्थापक ने बाहर के दस (skilled) व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

(5) 20 विस्थापित परिवार में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्रबन्धक द्वारा अन्डरटेकिंग के अनुसार नौकरी में रखा गया है।

दवा, विद्युत एवं पेयजल की आपूत्ति

स्व-249. श्री अरुण कुमार बोस—क्या मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिला के जामताड़ा अनुमंडलीय अस्पताल भवन की मरम्मती, बिजली की व्यवस्था, दवा आपूर्ति एवं पेय जल की कुव्यवस्था के चलते रोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार कबतक इस भवन की मरम्मत, दवा आपूर्ति एवं बिजली तथा पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग— जामतारा अनुमंडलीय अस्पताल के पुरुष कक्ष, महिला कक्ष तथा आउटडोर का वार्षिक मरम्मती कार्य कुछ दिन पूर्व में हुआ है। पर शल्य कक्ष एवं ड्रेसिंग रुम का छत चूता है। इनकी मरम्मत हेतु उपाधीक्षक, अवर प्रमंडलीय अस्पताल, जामतारा ने सम्बन्धित पदाधिकारी को लिखा है। बिजली वायरिंग पुराना हो जाने के कारण लाईन में गड़बड़ी होती रहती है 1978 में बिजली विभाग ने आंशिक रूप से वायरिंग का कार्य कराया था पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। दवा मद में 1980-81 में 22,850 रु० का आवंटन दिया गया था। पानी टंकी कटे रहने के कारण जल आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हुआ। अस्पताल भवन की मरम्मती, बिजली व्यवस्था में सुधार, दवा की आपूत्ति में वृद्धि तथा पेय जल की व्यवस्था में सुधार हेतु कार्रवाई की जायेगी।

न्यायालय के आदेश का अनुपालन।

रा-135. श्री अरुण कुमार बोस—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय बिहार, पटना, के केस संख्या सी० डब्लू० जे० सी० 1132/1976 श्री हरे राम ठाकुर उच्च वर्गीय लिपिक, संथाल परगना

समाहरणालय, दुमका बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 द्वारा उच्च वर्गीय लिपिकों की कोटि क्रम सूची तैयार करने के लिए स्पष्ट निदेश दिया गया है।

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय बिहार के स्पष्ट निदेश के बावजूद सरकार उपरोक्त सूची तैयार नहीं की है, जिसके फलस्वरूप प्रवर कोटि में प्रोन्नति रुका हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कब तक करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—(1) वस्तुस्थिति यह है कि कि केस सं० सी० डब्लू० जे० सी०-1132/1976, (श्री हरे राम ठाकुर, उच्चवर्गीय लिपिक, संताल परगना, दुमका बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दुमका समाहरणालय में कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिकों के कोटि क्रम में श्री हरे राम ठाकुर का उचित स्थान पूर्ववत सम्पुष्टी की तिथि को मान करके निर्धारित करने का निदेश किया है।

(2) उच्च न्यायालय के निदेशानुसार समाहर्त्ता द्वारा कारंवाई कर दी गई है।

(3) प्रश्नोत्तर की कंडिका (2) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

क्षतिपूर्ति का भुगतान।

रा-166. श्री अब्दुल हाकिम—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज अनुमंडल (संताल परगना) अंचल बोरियो के अन्तर्गत मिर्जा चौकी पंचायत एवं मौजा महादेववरण के जमाबंदी नं० 6 की जमीन जो एक आदिवासी रैयत श्री सोना किस्कू, ग्राम महादेववरण का है, को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई उपरोक्त जमीन के लिए जमीन मालिक (रैयत) श्री सोना किस्कू को सरकार ने क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री सोना किस्कू के क्षतिपूर्ति (कम्पेनशेसन) का भुगतान करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?